भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा।

22

आर0 ई0 आर केश नं0–61/2015–2016

अमिताभ चौधरी

बनाम्

वालेन्दु शेखर ठाकुर

:–आदेशः–

15/5/2025

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को बारी–बारी से सुना एवं अभिलेख बद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्त्तमान वाद की प्रक्रिया आवेदक अमिताभ चौधरी पे0–स्व0 राधा कृष्णा चौधरी उर्फ परमानंद चौधरी साकिन डॉडे थाना–पोड़ैयाहाट जिला–गोड्डा के आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है। आवेदक ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 42 के तहत् विपक्षी वालेन्द्र शेखर ठाकुर पे0–नंदन ठाकुर वो रघुनंदन ठाकुर पे0–ज्योतिष ठाकुर सा0–डाड़े थाना–पोड़ैयाहाट जिला–गोड्डा को मौजा–डॉडे 41 एवं 43 जमाबंदी नं0–342 दाग नं0–2202 रकवा 00–02–00 धुर जमीन से उच्छेद करने के लिए आवेदन किया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–डॉड़े नं0–41 एवं 43 जमाबंदी नं0–342 रकवा–03–07–16 धुर जमीन गत सर्वे सेटेलमेंट पर्चा में बैजनाथ चौधरी वो गोविन्द चौधरी पे0–शिवपाल चौधरी वो श्रीधर वो उपेन्द्रनाथ चौधरी वो चतुर्भुज चौधरी वो त्रिवेणी प0 चौधरी वो राधा किसुन चौधरी पे0– कार्तिक चौधरी के नाम से दर्ज है जिसके अन्तर्गत दाग नं0–2202 रकवा–00–10–05 धुर जमीन के पर्चा के दखल कॉलम में श्रीधर चौधरी वो उपेन्द्र नाथ चौधरी वो राधा किसुन चौधरी का नाम दर्ज है। आवेदक राधा किसुन चौधरी के वंशज है। जब कि विपक्षी बाहरी व्यक्ति है जिनका उक्त जमाबंदी रैयत से कोई संबंध नहीं है। विपक्षी ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लंघन कर अवैध ढंग से प्रश्नगत जमीन का अतिक्रमण कर लिया है एवं जाली दस्तावेज भी बनाये है जिनका संथाल परगना काश्तकारी पूरक अधिनियम 1949 की धारा 20 के तहत् कोई कानूनी महत्व नहीं है। चूँकि प्रश्नगत जमीन अहस्तान्तरणीय है। इसलिए विपक्षी का उक्त जमीन पर दखल गैर कानूनी है। उन्होंने विपक्षी को प्रश्नगत जमीन से उच्छेद करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वर्त्तमान प्रक्रिया में आवेदक के द्वारा मौजा–डॉड़े नं0–41 एवं 43 जमाबंदी नं0–342 दाग नं0–2202 के अंदर रकवा–00–02–00 धुर जमीन से विपक्षी को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 42 के तहत् आवेदन किया है जबकि पूर्व में भी प्रश्नगत जमीन से विपक्षी को उच्छेद करने के लिए आवेदक द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा के न्यायालय में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 42 के तहत् आवेदन दाखिल किया गया था जिसके आधार पर आर0ई0आर केश नं0–35/2001–02 अमिताभ चौधरी बनाम् बालेन्द्र शेखर ठाकुर संधारित किया गया था।

उक्त आर0ई0आर केश नं0–35/2001–02 में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई की गई एवं विपक्षी के दाखिल कारण पृच्छा एवं संबंधित कागजातों के अवलोकन के पश्चात् विपक्षी के दखल कब्जा को स्वीकार करते हुए आवेदक के आवेदन को खारिज किया गया है।

उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक के द्वारा उच्चत्तर न्यायालय में अपील दायर नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति पुनः आर0ई0आर वाद दायर करने का कोई कानूनी आधार नहीं रह गया है। इसलिए आवेदक का आवेदन खारिज करने योग्य है। उन्होंने आवेदक के आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में विज्ञ अपर सरकारी वकील का मंतव्य प्राप्त है। विज्ञ अपर सरकारी वकील का मंतव्य है कि आर0ई0आर केश नं0–35/2001–02 की सुनवाई अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 (1) के तहत् की गयी एवं विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी , गोड्डा के द्वारा कागजातों के अवलोकन के पश्चात् आदेश पारित किया गया है। आदेश के विरूद्ध आवेदक के द्वारा अपील वाद दायर किया जाना चाहिए था और उन्होंने अपील वाद करने के बजाय लम्बे समय के बाद वर्त्तमान आर0ई0वाद संख्या–61/2015–16 दायर किया गया है। इसलिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 के प्रवधानों के तहत् यह वाद चलने योग्य नहीं है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने के पश्चात् विज्ञ अपर सरकारी वकील के गंतव्य एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत स्पष्ट होता है कि आवेदक अमिताभ चौधरी के द्वारा प्रश्नगत् जमीन से विपक्षी को उच्छेद करने के लिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत् पूर्व में अनुमंडल

पदाधिकारी,गोड्डा के न्यायालय में आर0ई0आर केश नं0–35 / 2001–02 अमिताभ चौधरी बनाम् बालेन्दु शेखर ठाकुर वाद दायर किया गया था। उक्त आर0ई0केश नं0–35 / 2001–02 में अनुमंडल पदाधिकारी,गोड्डा के द्वारा आदेश पारित कर आवेदक के आवेदन को खारिज किया गया है एवं आवेदक द्वारा उसी जमीन से उसी पक्षकार को उच्छेद करने के लिए पुनः वाद दायर किय गया है तथा वर्त्तमान आर0ई0आर वाद संख्या–61 / 2015–16 उसी जमीन एवं पक्षकार से संबंधित है। चूँकि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत् अनुमंडल पदाधिकारी,गोड्डा के न्यायालय के द्वारा आवेदक के आवेदन पर पूर्व में निर्णय दे दिया गया है। ऐसी स्थिति में वर्त्तमान वाद Res Judicate के तहत् चलने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक का आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

15/05/25
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

15/05/25
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

Seen
Param Nand
Advo
23.5.2025

Digitally signed by localhost
Date: 2025.05.31 16:05:48 +05:30
Location: 192.168.29.152